न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
62 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	15.07.2020	20.10.2023

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल ब्रदर्स चौपड़ चौराहा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 1 जैन मन्दिर के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
2—मैसर्स गोयल ब्रदर्स चौपड़ चौराहा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 55 एफएसएस सक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विकास भारद्वाज उप.।

दिनांक 20.10.2023

:—**निर्णय**—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2020 को समय 11:02 पीएम पर मैसर्स गोयल ब्रदर्स चौपड़ चौराहा के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिलीप कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** के 18—18 ग्राम के 1.4 किग्रा के 200 पॉली पैक रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दिलीप कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दिलीप कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 18—18 ग्राम के 112 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को अदा देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** 18–18 ग्राम के 112 पैकेट में से 28–28 पॉली पैक को चार साफ व सूखे कागज के कार्टून में रखकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2485, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2485 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी किसी तरह का बिल प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक ने इस बाबत् पत्र भी प्रेषित किया परन्तु विक्रेता द्वारा वारन्टी बिल पेश नहीं किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/1812 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./713/एक्ट/2020/784 दिनांक 15.05.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3.1(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री विकास भारद्वाज उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है एवं इसका नमूना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर बैच नं. एवं पैकिंग दिनांक अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्नेक्स मोटू पतलू पोली पैक (Snacks Motu Patlu Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ० [illegible] सिंह [illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0